भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :—

मार्च में समाप्त हो रही अवधि	पंजाब			अखिल भारत		
	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी/ महानगरीय	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी/ महानगरीय
1990 .	35.8	44.3	53.7	83.9	51.6	70.8
1991 .	43.0	39.6	60.5	60.0	49.8	73.0
1992 .	44.5	36.5	45.2	58.7	47.5	65.4
1993 .	44.5	33.3	49.0	56.8	45.0	65.8
1994 .	49.0	31.5	45.6	52.5	39.9	62.8

यह देखा जा सकता है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात में पिछले वर्षों में नियमित रूप से वृद्धि हुई है जबकि अखिल भारत स्तर पर इसमें कमी आई है ।

(ख) और (ग) किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों से संबंधित ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता पर निर्भर करता है जो बदले में सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन, मौलिक और तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और अपेक्षित निवेशों की उपलब्धता और कृषि, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि के लिये विपणन केन्द्र जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास जैसे मदों से निर्धारित और प्रभावित होते हैं । बैंक ऋण के विकास से संबंधित मामलों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नियमित रूप से निगरानी की जाती है । बैंकों से अखिल भारत स्तर पर अपने ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात अलग-अलग प्राप्त करने के लिये कहा गया है ।

पंजाब में बैंक की और शाखायें

4364. **श्री इकबाल सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष में देश में विशेष रूप से पंजाब में सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में बैंकों की नई शाखायें खोलने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में पंजाब के किसानों द्वारा कितना धन जमा कराया गया और उन्हें कितना धन ऋण के रूप में दिया गया ; और

(ङ) इन बैंकों में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए तथा उनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार ने अब तक कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1990-95 के लिये शाखा विस्तार कार्यक्रम (बीईपी) के तहत बैंकों के लिए शाखा खोलने हेतु वर्ष-वार कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किये गये हैं । तथापि उपर्युक्त शाखा विस्तार कार्यक्रम (बीईपी) के तहत, बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पहचान किए गए ग्रामीण केन्द्रों पर

शाखाएं खोलने हेतु उन प्रस्तावों पर जो संबंधित राज्य सरकार के जरिए विधिवत अनुशंसा सहित, प्राप्त हुए हों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गुण-दोषों के आधार पर विचार करता है। जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, राज्य सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास पंजाब राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं खोलने हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। जहां तक प्राथमिक सहकारी बैंकों का संबंध है, शाखा विस्तार कार्यक्रम 1991-94 के दौरान ऐसे 53 बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने के लिए 1733 केन्द्र आबंटित किए गये हैं। राज्य-वार स्थिति विवरण में दर्शाई गई है। **(नीचे देखिए)**

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए पंजाब राज्य सहकारी बैंक लि0, सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और पंजाब में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशि, ऋण-राशि तथा अग्रिम राशि निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

निम्नलिखित तारीख तक बकाया राशि	सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक पंजाब राज्य		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	जमाराशि	ऋण एवं अग्रिम राशि	जमाराशि	ऋण
31-3-1992 . .	775.49	711.80	96.28	64.04
31-3-1993 . .	723.92	840.56	117.42	73.23
31-3-1994 . .	1067.07	787.53	140.87	81.08

(ङ) सहकारी बैंक राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक, जब भी आवश्यक होता है, निरीक्षण करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजक बैंकों, नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा दिए गये मार्ग निर्देशों के अध्याधीन अपने निदेशक बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करते हैं। कोई भी अनियमितता का पता लगने पर उसका तदनुसार उपयुक्त स्तर पर निराकरण किया जाता है।

विवरण

1991-94 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक सहकारी बैंकों को आबंटित की गई शाखाओं की राज्य-वार संख्या

क्रम सं0	राज्य का नाम	बैंकों की संख्या	आबंटित केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश .	12	42
2.	असम .	1	1
3.	नई दिल्ली .	4	10
4.	गोवा .	4	32
5.	गुजरात .	79	221
6.	हरियाणा .	3	5

7. जम्मू व कश्मीर	2	5
8. कर्नाटक	68	181
9. केरल	22	69
10. मध्य प्रदेश	7	12
11. महाराष्ट्र	241	962
12. मिजोरम	1	1
13. उड़ीसा	4	24
14. पंजाब	2	6
15. पाण्डिचेरी	1	2
16. राजस्थान	13	31
17. तमिलनाडु	45	87
18. उत्तर प्रदेश	11	24
19. पश्चिम बंगाल	11	18
कुल :	531	1733

विभिन्न राज्यों में प्राप्त विवरणियां

4365. **श्री राघवजी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर निर्धारण वर्ष 1994–95 और 1995–96 में देश के विभिन्न राज्यों में धारा 115–क के अंतर्गत कितनी विवरणियां प्रदेशवार प्राप्त हुई ; और

(ख) क्या इस योजना को आगामी वर्षों में भी जारी रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जैसाकि प्रश्न में उल्लिखित है शायद यह प्रसंग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा "115–ट" से संबंधित है न कि धारा "115–क" से क्योंकि परवर्ती धारा किसी भी विवरणी से संबंधित नहीं है । तदनुसार, अधिनियम की धारा 115–ट के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त सरलीकृत फार्मों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) ।

(ख) : जी, हां ।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1993–94 और 1994– 95 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115–ट के अन्तर्गत सरलीकृत फार्मों की संख्या

राज्य	धारा 115 ट के अंतर्गत प्राप्त सरलीकृत फार्मों की संख्या	
	वित्तीय वर्ष	
	1993–94*	1994–95** (अनन्तिम)
आंध्र प्रदेश	53,933	77,447
बिहार, उड़ीसा, असम, और उत्तर-पूर्वी राज्य	6,633	11,870
दिल्ली	10,971	7,954
गुजरात	6,996	9,237
कर्नाटक और गोवा	23,361	49,635